मध्यप्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
"मंत्रालय"

क्रमांक एफ–1–6/2013/18– 3 भोपाल,दिनांक 29 अप्रैल,2013

प्रति

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः–मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिया जाना ।

–0–

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में विभिन्न संशोधन किये जाने संबंधी अधिसूचना क्रमांक 2867–136–21–अ (प्र) अधि.दिनांक 18 अप्रैल, 2013 की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न (**परिशिष्ट–एक**) प्रेषित है । उक्त अधिनियम की अद्यतन संशोधित प्रति तथा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 की प्रति विभागीय वेबसाईट www.mp.urban.gov.in पर उपलब्ध है ।

2. अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं:–

(1) हितग्राही की पात्रता के निर्धारण के लिए " Cut off date" 31 दिसंबर, 2012 नियत की गयी है ।

(2) सर्वेक्षण एवं पट्टों के प्रदाय के संबंध में हितग्राहियों द्वारा गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाते हुए कपटपूर्वक पट्टाधृति अधिकार प्राप्त करने,पट्टे की भूमि का विक्रय, किराये आदि पर अंतरण, या किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक अथवा प्रलोभन द्वारा पट्टाधारी को आवंटित भूमि का अधिपत्य प्राप्त करने के अपराध के लिये दण्ड के प्रावधानों को कठोर बनाया गया है ।

3. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सामान्यतः 45 वर्गमीटर आकार के आवासीय पट्टे दिये जायेंगे, किंतु यदि अधिभोगी के अधिभोग में उससे अधिक भूमि है तो नगरपालिक निगम के क्षेत्र में 45 वर्गमीटर, नगरपालिका क्षेत्र में 60 वर्गमीटर

–2

तथा नगर परिषद के क्षेत्र में 80 वर्गमीटर आकार तक की भूमि के पट्टे दिये जा सकेंगे । इससे अधिक भूमि का अधिपत्य होने पर हितग्राही द्वारा उसे समर्पित करना होगा ।

4. उपर्युक्तानुसार राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में राज्य शासन, नगरीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर काबिज व्यक्ति जो वहां वास्तविक रूप से निवास कर रहा है कोई मकान या भूमि या तो अपने स्वंय के नाम पर या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से स्वामित्व में नहीं रखता हो, को आवासीय पट्टों का वितरण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाये । इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण का कार्य 1 मई से 31 मई, 2013 के मध्य संपन्न किया जायेगा । तदोपरांत **प्रदेश में पट्टों के वितरण की कार्यवाही दिनांक 20 जून, 2013 से प्रारंभ कर 31 जुलाई, 2013 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली जाये ।**

5. **हितग्राहियों के सर्वेक्षण की प्रकिया—**

पट्टे दिये जाने के लिये पात्र व्यक्तियों के चयन हेतु सर्वेक्षण की प्रकिया निम्नानुसार होगीः—

(1) 31 दिसंबर, 2012 की स्थिति में शहरी क्षेत्रों में शासकीय, नजूल, स्थानीय निकायों अथवा विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास करने वाले ऐसे आवासहीन व्यक्तियों जिनके पास उक्त पते का राशनकार्ड बना हो, के नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किये जायेंगे । राशनकार्ड न होने की दशा में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत समुचित अधिकारी संबंधित व्यक्ति की पात्रता का सत्यापन करेगा ।

(2) जिन व्यक्तियों के पास पूर्व से पट्टे उपलब्ध हैं या शासन की किसी योजना में भूखंड / आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु उनका चयन किया गया है, ऐसे व्यक्तियों के नाम इस सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं किये जायें ।

(3) यदि कोई भूमिहीन व्यक्ति किरायेदार के रूप में झुग्गी में निवास कर रहा है तथा उसके नाम पर संबंधित नगरीय क्षेत्र में कोई आवासीय भूमि/भवन नहीं है तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का नाम सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित किया जायेगा । किंतु संबंधित झुग्गी के मालिक का नाम सर्वेक्षण सूची में किसी भी परिस्थिति में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

(4) **सर्वेक्षण के लिए प्रपत्र :–**

अधिनियम के अंतर्गत भूमिहीन व्यक्तियों की पहचान के लिये संलग्न **परिशिष्ट–दो** में विहित प्रारूप में सर्वेक्षण किया जायेगा ।

सर्वेक्षण उपरांत वास्तविक रूप से लाभान्वित पात्र हितग्राहियों के प्रत्येक परिवार/व्यक्ति के बारे में विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2008 के नियम–3 के संलग्न प्रारूप "क" में दर्ज कर स्थाई रूप से संधारित किये जायेंगे।

(5) **सर्वेक्षण दलों का गठन**

योजनान्तर्गत भूमिहीन व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षण दल प्रत्येक नगरीय क्षेत्र के लिए गठित किये जायेंगे । सर्वेक्षण दल का प्रमुख यथा संभव एक राजस्व अधिकारी होगा जो कि नायब तहसीलदार के स्तर से कम का नहीं होगा । सर्वेक्षण में नगरीय निकायों के कर्मचारियों को भी आवश्यकतानुसार संलग्न किया जायेगा ।

(6) **प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति**

सर्वेक्षण कार्य संपन्न करने के लिए कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति की जावेगी । यह अधिकारी उपखंड पदाधिकारी, सहायक कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर के स्तर से निम्न स्तर का नहीं होगा । कलेक्टर के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन प्राधिकृत अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होगा ।

किसी नगरीय क्षेत्र में भौगोलिक आकार के आधार पर विभिन्न भागों के लिए पृथक–पृथक प्राधिकृत अधिकारी भी नियुक्त किये जा सकेंगे ।

(7) **सर्वेक्षण सूची वेबसाईट पर अपलोड करना–**

जिले के नगरीय क्षेत्रों में संपन्न कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर प्रारंभिक सूची दिनांक 1 जून, 2013 को सर्वसाधारण के सूचनार्थ कलेक्टर कार्यालय,संबंधित उपखंड (राजस्व) कार्यालय एवं नगरीय निकाय/विकास

–4

प्राधिकरण के कार्यालय/वार्ड कार्यालय में प्रकाशित करायी जायेगी । उक्त सूची जिला कार्यालय की वेबसाईट पर "अपलोड" की जायेगी तथा उसकीप्रति ई-मेल cmamp2@mpurban.gov.in पर विभागीय वेबसाईड www.mpurban.gov.in पर अपलोड करने के लिये भी अनिवार्य रूप से भेजी जाये ।

प्रारंभिक सूची के संबंध में आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित कर उनका निराकरण करने के पश्चात अंतिम सूची का प्रकाशन 15 दिवस की समय-सीमा में अनिवार्य रूप से कराया जावेगा ।

(8) आपत्तियों/सुझावों पर निर्णय के लिये सक्षम समितियां

प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर विचारोंपरांत निम्नानुसार समिति द्वारा सूची को अंतिम रूप दिया जायेगाः-

जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों के लिये

(एक)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(तीन)	नगर निगम आयुक्त/नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(चार)	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(पांच)	जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य

अन्य नगरीय क्षेत्रों के लिये

(एक)	उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
(दो)	उप खण्ड अधिकारी (पुलिस)	सदस्य
(तीन)	नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय का स्थानीय जिला अधिकारी	सदस्य
(चार)	जिला शहरी विकास अभिकरण का परियोजना अधिकारी	सदस्य
(पांच)	नगरपालिका परिषद/नगर परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य

जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण सूची को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति द्वारा अनुमोदित सूची संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी । जिला कलेक्टरों द्वारा अंतिम सर्वेक्षण सूची दिनांक 15 जून, ,2013 को प्रकाशित कराई जायेगी । यह सूची भी जिला कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जायेगी ।

(9) **सर्वेक्षण की समय सारणी**

सर्वेक्षण की समय–सारणी निम्नानुसार होगीः–

1.	सर्वेक्षण दलों का गठन तथा सर्वेक्षण प्रारंभ करने की तिथि	...	1 मई, 2013
2.	सर्वेक्षण समाप्त होने की तिथि	...	31 मई, 2013
3.	प्रारंभिक सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	...	1 जून, 2013
5.	अंतिम सर्वेक्षण सूची का प्रकाशन	...	15 जून, 2013
6.	सर्वेक्षण सूची प्राधिकृत अधिकारी तथा कलेक्टर के हस्ताक्षर से आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को भेजने की तिथि	...	20 जून, 2013

(10) उपर्युक्त निर्देशों के अनुसरण में जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में किये गये सर्वेक्षण अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाणित सर्वेक्षण सूची दिनांक 20 जून, 2013 तक आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को विशेष वाहक के हस्ते भिजवाना सुनिश्चित किया जाए । कृपया प्रमाणित सर्वेक्षण सूची की एक साफ्ट कापी (सीडी) भी अवश्य भेजी जाये ।

(11) **हितग्राहियों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस/बायोमेट्रिक सर्वे**

उपरोक्तानुसार भौतिक सर्वेक्षण के उपरांत समानान्तर रूप से आवासहीनों का कम्प्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार किया जायेगा । सर्वेक्षण अनुसार पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक/डाटाबेस तैयार करने तथा इसमें यूनिक आईडेंटीफिकेशन प्रणाली (आधार) का उपयोग करने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे ।

–6

6. **स्थाई तथा अस्थाई पट्टे–**

पट्टे दिये जाने के लिए पात्र पाये गये व्यक्तियों के संबंध में दो स्थितियां निर्मित हो सकती है। प्रथमतः जिन व्यक्तियों को व्यापक जनहित में अन्यत्र व्यवस्थापित नहीं किया जाना है उन्हें उसी स्थल पर, जहां वे वर्तमान में काबिज हैं, स्थाई पट्टे प्रदान किये जायेंगे । दूसरी स्थिति स्थानीय तथा भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान झुग्गी बस्तियों को उनके वर्तमान स्थल से अन्यत्र व्यवस्थापन किये जाने की आवश्यकता संबंधी हो सकती है । इस प्रयोजन के निर्णय हेतु जिला कलेक्टर/उपखंड पदाधिकारी द्वारा वांछित जानकारी संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगी । अतः सर्वेक्षण कार्य के दौरान ही यह जानकारी भी संकलित कर ली जाये कि किन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित करने की आवश्यकता होगी तथा उसका वैकल्पिक प्रस्ताव क्या है ।

बस्तियों के व्यवस्थापन संबंधी मामलों में निम्न समिति द्वारा सभी पहलुओं पर विचारोपरांत निर्णय लिया जायेगाः–

(अ) **भोपाल शहर के लिये**

(1)	प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	अध्यक्ष
(2)	संभागीय आयुक्त,भोपाल	सदस्य
(3)	कलेक्टर,भोपाल	सदस्य
(4)	पुलिस अधीक्षक,भोपाल	सदस्य
(5)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(6)	आयुक्त, न.पा.निगम, भोपाल	सदस्य
(7)	संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश,भोपाल	सदस्य
(8)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, भोपाल	सदस्य

(ब) **अन्य संभागीय स्तर के शहरों के लिये**

(1)	संभागीय आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	कलेक्टर	सदस्य
(3)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(4)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(5)	आयुक्त, नगरपालिक निगम/मुख्य नगरपालिका अधिकारी	सदस्य
(6)	नगर तथा ग्राम निवेश का स्थानीय अधिकारी	सदस्य
(7)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

(स) **<u>जिला स्तरीय एवं अन्य शहरों के लिए</u>**

(1)	कलेक्टर	अध्यक्ष
(2)	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
(3)	क्षेत्र का उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)	सदस्य
(4)	संबंधित आयुक्त, नगरपालिक निगम / मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका / नगर परिषद	सदस्य
(5)	नगर तथा ग्राम निवेश जिले का भारसाधक अधिकारी	सदस्य
(6)	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य

ऐसे स्थल जिन पर विद्यमान झुग्गी बस्तियों को अन्यत्र व्यवस्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है, उन बस्तियों में काबिज व्यक्तियों को तात्कालिक तौर पर अस्थायी पट्टे जारी किये जायेंगे ।

7. जारी किये जाने वाले स्थाई तथा अस्थाई पट्टों के प्राधिकार पत्र (पट्टा विलेख) क्रमशः लाल और पीले रंग के होंगे, जिनके प्रारूप नियम, 2008 के नियम (7) में क्रमशः प्ररूप–ख तथा प्ररूप–ग अनुसार होंगे । पट्टे पर हितग्राही (पति–पत्नी) का संयुक्त छायाचित्र चस्पा करना होगा तथा नियत स्थान पर उनके बायें हाथ की सुस्पष्ट अंगूठा निशानी भी ली जायेगी, जिसका उपयोग शहरों में किये जाने वाले बायोमेट्रिक सर्वे के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान की प्रक्रिया में किया जावेगा । छायाचित्र प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर / पदमुद्रा के अधीन प्रमाणित किया जावेगा ।

8. स्थायी रूप से पट्टा दिये जाने वाले क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं यथा सड़क, स्वच्छ पेयजल, नालियां,बिजली आदि की सुविधा शासन की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए उपलब्ध करायी जायेंगी । अतः ऐसी बस्तियों में किये जाने वाले कार्य तथा उसके लिए विभिन्न योजनाओं में राशि की व्यवस्था संबंधी कार्यवाही संबंधित नगरीय निकायों / विकास प्राधिकरणों के समन्वय में अविलंब पूर्ण कर ली जाये ।

9. **पट्टा वितरण की समय—सारणी—**

इन निर्देशों के अनुपालन में जिलों में पट्टे दिये जाने के संबंध में समय—सारणी निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:—

(1)	व्यवस्थापन हेतु प्रस्तावित बस्तियों की पहचान, ऐसे व्यवस्थापन हेतु उपयुक्त स्थल का चयन एवं संबंधित औपचारिकताओं की पूर्ति	...	15 जून,2013
(2)	चिन्हित हितग्राही संख्या के अनुपात में स्थाई तथा अस्थाई पट्टा विलेखों का मुद्रण	...	20 जून, 2013
(3)	पट्टों के वितरण की कार्रवाई प्रारंभ करना	...	20 जून, 2013
(4)	पट्टा वितरण की कार्रवाई पूर्ण करना	...	31जुलाई,2013
(5)	वितरित किये गये पट्टों की जानकारी आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत करना	...	5 अगस्त, 2013

10. **अनाधिकृत पट्टा प्राप्त करने/पट्टे की भूमि पर काबिज लोगों के विरूद्व कानूनी कार्यवाही —**

अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के अंतर्गत आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने के संबंध में सर्वेक्षण करते समय पूर्व वर्षो में दिये गये पट्टों की भूमि वैध पट्टाधारी के अधिपत्य में होने संबंधी स्थिति की जांच भी अनिवार्य रूप से की जाये । धारा—5 के अंतर्गत पट्टे की भूमि पर अवैध अधिपत्य रखने अथवा आवंटित भूमि को किराये/विक्रय आदि से माध्यम से अंतरित करने के प्रकरणों की सूक्ष्म स्थल जांचोपरांत अभिलेखीय साक्ष्य एकत्रित कर सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाये ।

11. **सर्वेक्षण सूची का कम्प्यूटरीकरण—**

इन निर्देशों के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार किये गये निम्नांकित दस्तावेजों की कम्प्यूटरीकृत प्रति भी समानान्तर रूप से तैयार कराई जाये:—

(1) प्रारंभिक तथा अंतिम सर्वेक्षण सूची
(2) आवंटित पट्टों की सूची
(3) पूर्व आवंटित पट्टों में अनाधिकृत/अधिपत्य/अंतरण के प्रकरणों की सूची तथा उनके संबंध में प्रारंभ की गई न्यायालयीन कार्यवाही का विवरण

12. राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में शहरी भूमिहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिये जाने की कार्रवाई में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये तथा आवश्यकतानुसार संपन्न होने वाली कार्रवाई का समुचित प्रचार–प्रसार भी किया जाय ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(एस.पी.एस.परिहार) 29/4/13
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ–1-6/18–3 /2013 **भोपाल,दिनांक 29 अप्रैल, 2013**
प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,गृह विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय,मंत्रालय, भोपाल ।
4. आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
5. आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
6. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
8. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन,मंत्रालय, भोपाल ।
9. समस्त संभागीय उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश।
10. समस्त परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण, मध्यप्रदेश ।

प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

परिशिष्ट-एक

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2013

क्र. 2867-136-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल 2013 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २० सन् २०१३

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक १६ अप्रैल २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १८ अप्रैल, २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, २०१३ है.

धारा ३ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, १९८४ (क्रमांक १५ सन् १९८४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ में,—

(एक) उपधारा (१) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा (२) में, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २००७" के स्थान पर, अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, २०१२" स्थापित किए जाएं.

धारा ५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ५ में,—

(एक) उपधारा (१) में, शब्द "और जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा", के स्थान पर, शब्द "और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "जो तीन मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (३) में, शब्द "जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से", के स्थान पर, शब्द "जो तीन मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा" स्थापित किए जाएं;

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल, 2013

क्र. 2868-136-इक्कीस-अ(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 20 OF 2013.

THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRON KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of the Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 18th April, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

Amendment of Section 3. 2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984) (hereinafter referred to as the principal Act),—

(i) in sub-section (1), for the figures and words "31st day of December, 2007", the figures and words "31st day of December, 2012" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the figures and words "31st December 2007" wherever they occur, the figures and words "31st December, 2012" shall be substituted.

Amendment of Section 4. 3. In Section 4 of the principal Act, in sub-section (2), for the figures and words "31st December, 2007", the figures and words "31st December, 2012" shall be substituted

Amendment of Section 5. 4. In Section 5 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the words "and with fine which shall not be less than five hundred rupees but which may extend to one thousand rupees", the words "and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;

(ii) in sub-section (2), for the words "may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted;

(iii) in sub-section (3), for the words "may extend to one year or with fine which may extend to five thousand rupees or with both", the words "shall not be less than three months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than two thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

परिशिष्ट - दो

सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र

अ.क्र.	मोहल्ले /कालोनी का नाम	अधिभोगी का नाम तथा पिता का नाम	UIDAI क्रमांक (यदि हो)	आवास क्रमांक	अधिभोग का क्षेत्रफल	अधिभोगी के कुटुम्ब के सदस्यों के विवरण			अधिभोगी की जाति (पूर्ण विवरण यथा – अनू.जाति, अनु.जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि दर्शायें)	क्या अधिभोगी अल्पसंख्यक समुदाय से है (यदि हां पूर्ण विवरण दें)	अधिभोगी का व्यवसाय तथा उसके कथन के अनुसार उसकी वार्षिक आय	अधिभोग की कालावधि (कब से अधिभोग कर रहा है)	यदि अधिभोगी नगर में कोई भूमि धारण करता है तो उसका ब्यौरा	यदि अधिभोगी मध्यप्रदेश के किसी अन्य नगरीय क्षेत्र में कोई भूमि धारण करता है तो उसका ब्यौरा.	अधिभोगी द्वारा शपथ–पत्र पर किया गया कथन	यदि अधिभोगी के पास राशन कार्ड है तो उसका ब्यौरा	नगरपालिका के द्वारा प्राधिकृत समुचित अधिकारी के साक्षी रूप में हस्ताक्षर	जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण की तारीख तथा उसकी संक्षिप्त टिप्पणी	अभ्युक्ति
						नाम	उम्र	संबंध											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

(1) कालम 7,8,9 के अन्तर्गत कुटुम्ब से आशय पति, पत्नि, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री या रक्त पर आधारित कोई नातेदार, जो भूमिहीन व्यक्ति पर पूर्णतः आश्रित हो, से है।

(2) कालम 13 के अन्तर्गत कालावधि निर्धारण हेतु राशन कोर्ड देखें। राशन कार्ड उपलब्ध न होने की दशा में बिजली बिल, वोटर कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस इत्यादि देखें।

(3) कालम 16 के अन्तर्गत शपथ पत्र शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के संलग्न प्रेषित प्रारूप अनुसार होगा।

सर्वेक्षणकर्ता के हस्ताक्षर

शपथ–पत्र

(प्राधिकृत अधिकारी म0प्र0नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति(पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधनियम,1984 के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत्)

मैं ....आयु...........वर्ष पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.................. .... निवासी...................... निम्न कथन/घोषणा शपथपूर्वक करता/करती हूं कि :–

1. मैं दिनांक....................... से निरंतर.. (बस्ती का नाम) की झुग्गी क्र0........... में निवास कर रहा/रही हूँ ।

2. यह कि उक्त झुग्गी के अतिरिक्त मेरे पास मेरे नाम से अथवा मेरे पति/पत्नि, अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री या रक्त पर आधारित मुझ पर पूर्णतः आश्रित नातेदार के नाम से नगरीय क्षेत्र में अन्य कोई आवासीय भूमि/भवन नहीं है ।

3. यह कि इसके पूर्व मेरा नाम किसी भी अन्य योजना के अंतर्गत आवासगृह/आवासीय भूमि आवंटन की सर्वेक्षण सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है ।

4. यह कि उक्त चरण क्र0 1 से 3 में वर्णित जानकारी असत्य पाई जाने की दशा में उत्तरदायित्व मेरा स्वयं का रहेगा तथा शासन द्वारा वैधानिक कार्यवाही किए जाने पर मैं दण्ड का भागी रहूंगा/रहूंगी ।

हस्ताक्षर शपथगृहीता

सत्यापन

मैं .... उपरोक्त शपथगृहीता सत्यापित करता/करती हूं कि उक्त शपथपत्र के चरण क्र0 1 से 4 में उल्लेखित तथ्य व जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सही व सत्य है, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा आज दिनांक .... को भोपाल में किया गया ।

हस्ताक्षर शपथगृहीता